न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर, जिला नागौर (राज.)

पीठासीन अधिकारी – श्री चम्पालाल जीनगर, आर0ए0एस0

पंचायत निगरानी संख्या : 62/2022

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
भंवरलाल पुत्र शंकरलाल जाति प्रजापत निवासी रेण तहसील मेडता जिला नागौर।		1 रामनिवास पुत्र भंवरलाल जाति प्रजापत निवासी रेण तहसील मेडता जिला नागौर। 2 ग्राम पंचायत रेण जरिए सरपंच ग्राम रेण तहसील मेडता जिला नागौर।

उपस्थिति–

1 श्री श्याम कुमार व्यास अधिवक्ता, प्रार्थी की ओर से

2 श्री भंवरलाल सारस्वत, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से।

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायतराज अधिनियम 1994

निर्णय दिनांक 24.02.2025

1– प्रकरण इस प्रकार है कि प्रस्तुत निगरानी राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत रेण द्वारा प्रस्ताव संख्या 03 दिनांक 20.09.2019 मिसल संख्या 114/2019–20, पट्टा संख्या 18 दिनांक 20.12.2019 को जारी किया गया, से असंतुष्ट होकर दिनांक 21.11.2022 को प्रस्तुत की गई। प्रार्थी की निगरानी दिनांक 01.12.2022 को दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से श्री भंवरलाल सारस्वत अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया, अप्रार्थी संख्या 02 बाजवूद सूचना के न्यायालय में अनुपस्थित रहा। प्रार्थी ने अपनी निगरानी के समर्थन में पट्टा पत्रावली संख्या 114/19–20 की फोटोप्रति पेश की। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मंगाया गया।

2– उभयपक्ष की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने निगरानी में वर्णित तथ्यों को दुहराते हुए दलील दी कि –

2(1)– अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 के पक्ष में पारित पट्टा प्रस्ताव/आदेश पंचायत अधि. में वर्णित आज्ञापक प्रावधानों की बिना पालना किए पारित किया गया होने से काबिल निरस्त किए जाने योग्य है।

2(2)–निगरानीकर्ता के स्वामित्व की एक जायगा मकान ग्राम रेण तहसील मेडता में स्थित है। जिसके संबंध में अप्रार्थी संख्या 1 ने दिनाक 07.06.2019 को ग्राम पंचायत रेण के समक्ष पट्टा बनाने हेतु आवेदन पेश किया, जो मकान ग्राम रेण के कुम्हारों के मौहल्ले में स्थित है। उक्त आवेदन पर न तो आवेदक की फोटो है, न ही आवेदन पेश करने की दिनांक अंकित है, न ही जिस मकान के संबंध में अप्रार्थी संख्या 1 ने पटटा बनवाने हेतु जो आवेदन पेश किया है, वह मकान अप्रार्थी संख्या 1 का है। इस प्रकार ग्राम पंचायत ने अपूर्ण आवेदन पर कार्यवाही करते हुए जो आदेश जैर निगरानी पारित किया है, वह निरस्त किये जाने योग्य है।

2(3)– अप्रार्थी संख्या 2 ने राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 व अधिनियम 1996 के तहत विधिक प्रावधानों की पालना किए बगैर सम्पूर्ण कार्यवाही की है। इस कारण भी निगरानीधीन प्रस्ताव/आदेश काबिल निरस्त किए जाने योग्य है।

2(4)– अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा सम्पूर्ण कार्यवाही अवैध एवं विधि विरूद्व ढंग से बिना आज्ञप्ति विज्ञप्ति जारी किये, बिना मौके पर आकर मौका निरीक्षण किये एवं सार्वजनिक रूप से बिना कोई सूचना प्रकाशित करवाये मात्र पंचायत कार्यालय में बैठकर खानापूर्ति करते हुवे अवैध व विधि विरूद्व ढंग से निगरानीधीन प्रस्ताव/आदेश दिनांक 20.09.2019 पारित कर दिया जो निरस्त किये जाने योग्य है।

2(5)– राजस्थान पंचायती राज अधिनियम में वर्णित धारा 146 के अनुसार ग्राम पंचायत के समक्ष पट्टा बनवाने हेतु आवेदन पेश होने पर तीन पंचों की समिति बनाई जायेगी, जो आवेदन में वर्णित जायगा जिसके संबंध में पट्टा जारी किया जाना है, उसका मौका निरीक्षण करेगी। किन्तु उक्त प्रकरण में तीन पंचों की समिति दिनांक 07.06.2019 को ग्राम पंचायत द्वारा बनाई गई, किन्तु मौका रिपोर्ट किस दिनांक को तैयार की गई तथा किस दिनांक को विवादित मकान का मौका निरीक्षण किया गया। इस संबंध में मौका रिपोर्ट में कोई अंकन नहीं है। इसके अलावा मौका रिपोर्ट मात्र दो पंचों द्वारा तैयार की गई है। जबकि विधि अनुसार उक्त मौका रिपोर्ट तीन पंचों द्वारा तैयार की जानी आवश्यक थी। इसके अलावा मौका रिपोर्ट के साथ किसी प्रकार का नक्शा भी तैयार नहीं किया गया न ही विवादित मकान का कोई नाप वगैरह किया गया। ऐसी स्थिति में उक्त मौका रिपोर्ट विधि अनुसार नहीं होने के बावजूद भी अधि. न्यायालय ग्राम पंचायत रेण द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के हक में जो पट्टा प्रस्ताव/स्वीकृति आदेश जारी किया गया है, वह पूर्ण रूप से अवैध व विधि विरूद्व होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

24/2/25

अपर कलक्टर, नागौर

2(6)–अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा जो आपति बाबत सूचना पत्र जारी किया गया। उस सूचना पत्र की चस्पानगी किन दो मौतबिरान के सामने की गई, इसका कोई उल्लेख आपति सूचना पत्र पर नहीं है। न ही किसी मौतबिरान के हस्ताक्षर है। इसके अलावा उक्त सूचना पत्र ग्राम रेण की किस सदृश स्थान पर चस्पा किया गया, इसके भी कोई उल्लेख आपत्ति सूचना में वर्णित नहीं है। ऐसी स्थिति में अप्राथी संख्या 2 द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 की धारा 148 की पालना भी विधिवत नहीं की गई है। इस कारण भी ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टा प्रस्ताव दिनांक 20.09.2019 निरस्त किये जाने योग्य है।

2(7)– अप्रार्थी संख्या 2 के समक्ष उक्त प्ररकण में जिन दो गवाहान छोटूराम पुत्र देवाराम व कुलदीप पुत्र घनश्याम के बयान अंकित किये गये है। यह बयान किस दिनांक को लिये गये उसका कोई उल्लेख बयान पत्र मे नहीं है। ऐसी स्थिति में उक्त गवाहान के बयान माने जाने योग्य नहीं होने के बावजूद भी अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा जो पट्टा प्रस्ताव दिनांक 20.09.2019 को पारित किया गया वह निरस्त किये जाने योग्य है।

2(8)– अप्रार्थी संख्या 2 ने उक्त प्रकरण में मनमाने तरीके से आदेशिकाएं अंकित करते हुए एवं विधि की पालना कए बगैर सम्पूर्ण कार्यवाही अवैध एवं विधि विरूद्व ढंग से करते हुए पट्टा प्रस्ताव आदेश पारित किया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है।

3– अप्रार्थी संख्या 01 ने अपनी लिखित बहस में बताया कि–

3(1) भंवरलाल रामनिवास का पिता है। जिन्होने यह मकान पटटाधारी रामनिवास को बंट में दिया जिसकी पुष्टि लिखापढी से होती है। रामनिवास इसी मकान में रहता है।

3(2) निगरानीकर्ता भंवरलाल ने उक्त मकान को पीढियों से अपना बताया है। इसलिए यह मकान पैत्रक मकान है। जिसमें जन्म से ही रामनिवास का हक है इसलिए भंवरलाल ने अपने आपको अकेला स्वामी होना गलत बताया है।

3(3) आवेदन की तारीख अंकित नहीं होने से कोई प्रभाव नहीं पडता है। क्योंकि पंचायत की पत्रावली की ओर्डर सीट में आवेदन पत्र पेश हुआ उल्लेख है।

3(4) फोटो औपचारिकता है क्योंकि रामनिवास रेण का रहने वाला है। जिसको भली भांति पंचायत जानती है।

3(5)– ग्राम पंचायत द्वारा तीन पंचों की कमेटी बनाकर मौका निरीक्षण करवाया जिसकी पुष्टि भी पंचायत की आदेशिका से भली भांति होती है।

3(6)– पचों द्वारा मौका मुआवना किया गया जिसकी पुष्टि मौका रिपोर्ट से भली भांति होती है। मौका रिपोर्ट में मकान होना बताया है, जो स्वीकृत तथ्य है। मकान पीढियों से रहवासी है। यह भी स्वीकृत तथ्य है। इसलिए मौका रिपोर्ट पर दो पंचों के हस्ताक्षर होना पर्याप्त है।

3(7)–सार्वजनिक सूचना पंचायत द्वारा निकाली गई जिसकी पुष्टि भी पंचायत की आदेशिका से होती है। पंचायत में सभी पंच सरपंच व्यक्तिगत रूप से मकान में रहवास करने वाले को जानते है। जिसकी जानकारी निगरानीकर्ता को थी, जिसने पंचायत में कोई उजर ऐतराज नहीं किया।

3(8)–पंचायत में मीटिंग हर माह 5 तारीख 20 तारीख तय तिथि होती है। इसलिए सहवन से पटटे में दिनांक अंकित नहीं हो तो कोई प्रतिकुल प्रभाव नहीं पडता है।

3(9)–गवाह के बयानों की पुष्टि भी पंचायत के आदेशिका से होती है। इसलिए बयानों पर तारीख अंकित नहीं होने से प्रतिकुल प्रभाव नहीं पडता है।

3(10)–ग्राम पंचायत द्वारा अधिनियम के अनुसार सभी प्रावधानों की पालना कर पटटा जारी किया है जो निरस्त नहीं किया जा सकता।

3(11)– पंचायत द्वारा उक्त पटटा का बेचान रजिस्ट्रेशन निष्पादित करवा दिया है इसलिए रजिस्ट्रेशन निरस्त करने का अधिकार सिविल न्यायालय का है।

3(12)–निगरानी में कोई बल नहीं है मात्र माईनर भूल से पटटा निरस्त नहीं किया जा सकता। तारीख अंकित न होने व फोटो अंकित नहीं होना तथ्य की भूल है न की कानूनी भूल है। इसलिए निगरानीकर्ता पंचायत समिति में अपील प्रस्तुत कर सकता है। जो उनके द्वारा नहीं की गई तथा अपने कथन के समर्थन में डीएनजे राज. 2020(1) पेज 199 से 201 तक नजीर पेश की।

4– प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 01 के लिखित बहस का जवाब देते हुए बताया कि

4(1)– अप्रार्थी की लिखित बहस के पैरा संख्या 1 में वर्णित तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। अप्रार्थी द्वारा जिस लिखापढी का उल्लेख उक्त पैरा में किया गया है वह लिखापढी न्यायालय द्वारा रिकार्ड पर नहीं ली गई है एवं इस संबंध में अप्रार्थी द्वरा प्रस्तुत आवेदन न्यायालय हाजा द्वारा पूर्व में निरस्त किया जा चुका है।

24/2/25

अपर कलक्टर, नागौर

4(2)–लिखित बहस के पैरा संख्या 2 में वर्णित यह कथन कि उक्त मकान पैतृक है, सही होने से स्वीकार है। चूंकि स्वयं अप्रार्थी उक्त पैरा में विवादित मकान को पैतृक होना बता रहा है, ऐसी स्थिति मे अकेले अप्रार्थी रामनिवास को उक्त पैतृक मकान का पंचायत से पट्टा बनवाने का कोई विधिक अधिकार नहीं था। इस प्रकार स्वयं अप्रार्थी के द्वारा की गई स्वीकृति के आधार पर भी निगरानी स्वीकार किये जाने योग्य है।

4(3)–लिखित बहस के पैरा संख्या 3 में वर्णित तथ्य गलत होने से अस्वीकार है, क्योंकि अप्रार्थी ने जिस मकान का पट्टा बनवाने हेतु आवेदन किया, वह मकान कभी भी अप्रार्थी संख्या 1 के अकेले का कब्जासुदा नहीं रहा।

4(4)–लिखित बहस के पैरा संख्या 4 में वर्णित तथ्य गलत होने से अस्वीकार है, क्योंकि आवेदन पत्र पर अंकित है कि आवेदन की फोटो यहां लगावें, ऐसी स्थिति में फोटो लगाना आवश्यक था, न कि औपचारिकता। अप्रार्थी का यह कथन कि अप्रार्थी संख्या 1 रेण का रहने वाला है जिसको भली भांति पंचायत जानती है। यह तथ्य स्वीकार योग्य नहीं है क्यांकि पंचायत अधिनियम के तहत पट्टा बनवाने हेतु जो विधि प्रावधान दिये गये है उनकी पालना की जाना आवश्यक होता है। इस कारण भी निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार करने योग्य है।

4(5)– लिखित बहस के पैरा संख्या 5 में वर्णित तथ्य गलत होने से अस्वीकार है, क्योंकि तीनों ही पंचों द्वारा मौका रिपोर्ट न तो मौके पर तैयार की गई न ही कोई नक्शा तैयार किया गया। यहां तक कि मौके पर तैयार की गई, न ही कोई नक्शा तैयार किया गया। यहां तक कि मौका रिपोर्ट पर तीसरे पंच के हस्ताक्षर तक नहीं है, न ही उक्त रिपोर्ट में यह अंकित है कि अप्रार्थी रामनिवास पिछले कितने वर्षों से उक्त मकान में निवास कर रहा है न ही यह अंकित है कि उक्त मौका रिपोर्ट किस दिनांक को सरपंच के सक्षम ग्राम पंचायत में पेश की गई, उसका कोई उल्लेख किया गया है। ऐसी स्थिति में उक्त अपूर्ण मौका रिपोर्ट को आधार मानकर जो पट्टा जारी किया गया है। वह पूर्णतया अवैध एवं विधि विरूद्व तरीके से पंचायत राज अधिनियम 1994 में दिये गये आज्ञापक प्रावधानों के विपरीत होने के बावजूद भी अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जो पट्टा प्रस्ताव स्वीकार किया गया है। वह निरस्त किये जाने योग्य है।

4(6)–लिखित बहस के पैरा संख्या 6 में वर्णित तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। अप्रार्थी स्वयं उक्त पैरा में यह कथन कर रहा है कि मौका रिपोर्ट पर दो पंचों के हस्ताक्षर होना पर्याप्त है जबकि अप्रार्थी संख्या 2 ग्राम पंचायत रेण द्वारा 3 पंचों की कमेटी गठित की गई थी एवं विधि अनुसार तीन पंचों के हस्ताक्षर होना आवश्यक था किन्तु उक्त मौका रिपोर्ट पर तीसरे ही पंचो के हस्ताक्षर नहीं है ऐसी स्थिति में उक्त मौका रिपोर्ट को रिपोर्ट पंचायत राज अधिनियम के नियम 146 के विपरीत होने से भी मानने योग्य नहीं होने के बावजूद भी ग्राम पंचायत ने अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जो पटटा प्रस्ताव पारित किया है। वह निरस्त किये जाने योग्य है।

4(7)–लिखित बहस के पैरा संख्या 7 में वर्णित तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 के नियम 148 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार ग्राम पंचायत विक्रय की जाने वाली भूमि के संबंध में एक माह का नोटिस आक्षेप आमंत्रित करते हुए प्रकाशित करेगी तथा उक्त नोटिस दो प्रतियों में तैयार किया जायेगा एवं उसकी एक प्रति विक्रय हेतु प्रस्तावित भूमि पर किसी सहज दृश्य स्थान पर लगाई जायेगी तथा दूसरी प्रति परिक्षेत्र के कम से कम दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों के उसे ऐसे लगाये जाने के प्रमाण स्वरूप हस्ताक्षर अभिप्राप्त करने के पश्चात पंचायत कार्यालय को लौटा दी जायेगी। किन्तु इस प्रकरण में नियम 148 में दिये गये प्रावधानों की कोई पालना नहीं की गई है, क्योंकि पंचायत पत्रावली में आपति मांगने का सूचना पत्र दिनांक 20.06.2019 क्रमांक 114 लगा हुआ है। उस पर दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों के हस्ताक्षर नहीं है, न ही उक्त सूचना पत्र किस स्थान पर चस्पा किया गया, उसका कोई उल्लेख है। ऐसी स्थिति में भी निगरानीकर्ता की निगरानी स्वीकार किये जाने योग्य है।

4(8)–लिखित बहस के पैरा संख्या 8 में वर्णित तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। ग्राम पंचायत की पत्रावली में जिस तारीख को पत्रावली पेश करना बताया गया है उसके आगे की कोई तारीख पेशी नहीं दी गई, बल्कि आदेशिकाओं के अवलोकन से प्रतीत होता है कि उक्त आदेशिकाओं में रिक्त स्थानों की पूर्ति की गई है। ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत रेण द्वारा की गई सम्पूर्ण कार्यवाही अवैध एवं विधि विरूद्व होने तथा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के आज्ञापक प्रावधानों के विपरीत होने से निगरानी स्वीकार किये जाने योग्य है।

4(9)–लिखित बहस के पैरा संख्या 9 में वर्णित तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। ग्राम पंचायत द्वारा जिन जिन गवाहान छोटूराम व कुलदीप के बयान लिये गये है उन बयानों का अवलोकन करे तो उक्त बयानों में केवल मात्र रिक्त स्थानों की पूर्ति की गई है तथा ग्राम पंचायत द्वारा इन गवाहान के बयान किस तारीख को लिये गये वह भी अंकित नहीं किया गया है, ऐसी स्थिति में निगरानी स्वीकार किये जाने योग्य है।

24/5/25
अपर कलक्टर, नागौर

4(10)–लिखित बहस के पैरा संख्या 10 में वर्णित तथ्य गलतहोने से अस्वीकार है। ग्राम पंचायत रेण द्वारा पट्टा जारी करने के संबंध में राज. पंचायत राज अधिनियम 1994 के आज्ञापक प्रावधानों को दरकिनार करते हुए प्रस्ताव संख्या 3 दिनांक 20.09.2019 को पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है।

4(11)–लिखित बहस के पैरा संख्या 11 में वर्णित तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। क्योंकि निगरानीकर्ता ने ग्राम पंचायत रेण द्वारा प्रस्ताव संख्या 3 दिनांक 20.09.2019 को निरस्त किये जाने की ईस्तदुआ चाही है जो ईस्तदुआ केवल मात्र न्यायालय हाजा द्वारा ही स्वीकृत की जा सकती है। इस कारण भी निगरानी स्वीकार किये जाने योग्य है।

4(12)– लिखित बहस के पैरा संख्या 13 में वर्णित तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टे के संबंध में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टे के संबंध में अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा माईनर भूल नहीं की गई है बल्कि अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा राज पंचायत राज अधिनियम 1994 के नियम 148 से लेकर 148 में दिये गये किसी भी आज्ञापक प्रावधानों की पालना नहीं की गई है। इस कारण भी निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत उक्त निगरानी स्वीकार किये जाने योग्य है।

5– पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी द्वारा निगरानी राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत रेण द्वारा प्रस्ताव संख्या 03 दिनांक 20.09.2019 मिसल संख्या 114/2019–20 द्वारा जारी पट्टा संख्या 18 दिनांक 20.12.2019 को निरस्त किये जाने को लेकर प्रस्तुत की गई। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 के नियम 145 के अनुसार अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा विधिवत ग्राम पंचायत में पट्टा बनाने हेतु आवेदन किया जाना तथा आवेदन के साथ स्थल नक्शा भी प्रस्तुत किया जाना प्रतीत होता है। ग्राम पंचायत द्वारा प्रेषित की गई पत्रावली के अनुसार पंचो की कमेठी नियुक्त किया जाना, एक माह का उजरदारी नोटिस जारी किया जाना रिकार्ड से प्रतीत होता है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 के नियम 157 (ख) के अनुसार 200/– जमा कर पटटा जारी करने का विनिश्चय किया गया है तथा पत्रावली का भी निर्धारित प्रक्रिया अनुसार संधारण किया जाना प्रतीत होता है। इस प्रकार अधीनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए ही पट्टा जारी किया गया है, ऐसी स्थिति में आदेश जैर निगरानी में कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

6– उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने से खारिज की जाती है।

7– निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

२५/५/२०

(चम्पालाल जीनगर)
अपर कलक्टर, नागौर
अपर कलक्टर, नागौर